Ex.P.-485

S-89

कथन
(धारा 161 द0प्र0सं0)

थाना–ईओडब्ल्यू, रायपुर
अपराध कमांक–09/15

जिला–रायपुर।
धारा–धारा–109, 120(बी) भा.द.वि., 13(1) (डी)
सहपठित धारा 13(2) भ्र.नि.अ. 1988

दिनांक–12.02.2015

श्री रामनारायण राम पिता स्व. श्रीराम, उम्र 45 वर्ष, 10–बी, एच.एस.सी.एल. कॉलोनी, रूआबांधा, भिलाई, पिन.नं. 490006, हाल पद व्याख्याता शास. उ.मा.विद्यालय, कुम्हारी जिला दुर्ग, मो0 – 94241–06395

—00—

पूछने पर बताया कि उपरोक्त पते पर रहता हूँ। दिनांक 12.02.2015 को नागरिक आपूर्ति निगम के अवंति विहार, रायपुर स्थित कार्यालय में ए.सी.बी. की टीम द्वारा रेड कार्यवाही के पूर्व मुझे तथा श्री एम.के.राजपूत को साक्षी के रूप में उपस्थित होने हेतु आदेश प्राप्त हुआ था। उक्त आदेश के परिपालन में मैं तथा श्री एम.के.राजपूत ए.सी.बी. मुख्यालय में उपस्थित हुए थे।

पूछने पर बताया कि ए.सी.बी. की टीम के अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक श्री अशोक जोशी एवं निरीक्षक श्री संजय देवस्थले के साथ रेड कार्यवाही में नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय, रायपुर साक्षी के रूप में गए थे।

दिनांक 12.02.2015 को नागरिक आपूर्ति निगम में रेड कार्यवाही के दौरान गिरीश शर्मा पी.ए. टू एम.डी.नॉन के चेम्बर में गिरीश शर्मा से 20 लाख रूपये जप्त किए गए थे। उक्त रकम के संबंध में, छापे के दौरान ही मेरे एवं श्री एम.के.राजपूत के समक्ष एम0डी0 के पी0ए0 गिरीश शर्मा से डी.एस.पी. श्री अशोक जोशी के द्वारा तत्काल उस जप्ती के 20 लाख रूपये के बारे में पूछने पर, खुलासा किया कि यह रकम उसे अरविन्द ध्रुव ने लाकर दी है और इसमें से 10 लाख रूपये डॉ. आलोक शुक्ला के लिए एवं 10 लाख रूपये रकम अनिल टुटेजा को देने के लिए उसके पास आई थी। डॉ0 आलोक शुक्ला व अनिल टुटेजा को दी जाने वाली रकम प्राप्त हो जानें पर उसने अनिल टुटेजा साहब को बताया तब अनिल टुटेजा साहब ने कहा कि वह आफिस पहुंच रहे है इसके बाद जाकर डॉ. आलोक शुक्ला की रकम डॉ. आनंद दुबे को शंकर नगर वाली क्लीनिक में ले जाकर दे देना।

जप्ती पत्रक दिनांक 12.02.2015 के 13:25 बजे को दिखाकर पूछने पर बताया कि रेड कार्यवाही के दौरान गिरीश शर्मा पी.ए. टू एम.डी. नॉन, के चेम्बर से कागज के दो लिफाफों में काले रंग के लैपटॉप के बैग से 20 लाख रूपये ए.सी.बी. द्वारा मेरे समक्ष जप्त किए गए थे साथ ही 01 पेन ड्राईव्ह एच.पी.कंपनी का ब्लू कलर का, कम्प्यूटर प्रिंटेड–4 पेज जिसमें लेनदेन एवं खर्चों का विवरण उल्लेखित है तथा 01 एनड्राईड मोबाईल मोटोरोला कंपनी का, जिसका आई.एम.ई.आई. नंबर 355470061088312 है, जिसे ए.सी.बी. द्वारा मेरे समक्ष जप्त किया गया है।

पूछने पर बताया कि डी.एस.पी श्री अशोक जोशी द्वारा मौके पर ही मेरे एवं रामनारायण के समक्ष गिरीश शर्मा से तत्काल पूछताछ किया गया, जिसमें उसने यह भी खुलासा किया था कि शिवशंकर भटट द्वारा उसे जो नगद रकम अनिल टूटेजा एवं डॉ. आलोक शुक्ला को भुगतान करने के लिए दी जाती थी, उसके संबंध में दोनों अधिकारियों द्वारा जैसे निर्देश दिए जाते थे वह उसका पालन करता था। उसने खुलासा किया था कि कई बार उसने डॉ. आलोक शुक्ला एवं अनिल टुटेजा को व्यक्तिगत रूप से नगद रकम ले जाकर दी थी तथा उनके द्वारा बताए गए व्यक्तियों को भी नगद रकम ले जाकर दिया था। इन अधिकारियों के कहने पर जितनी रकम और जिनको भुगतान किया था उसका पूरा रिकार्ड दिनांकवार गिरीश शर्मा ने पेन ड्राइव में भी सुरक्षित रखना मेरे समक्ष बताया था, जिसे कार्यवाही के दौरान एसीबी अधिकारियों द्वारा ज़प्त किया गया है। इसके अलावा उक्त अधिकारियों के जिन व्यक्तिगत बिलों का भुगतान गिरीश शर्मा किया करता था, उसको भी सम्हालकर रखता था, क्योंकि उक्त अधिकारियों को रकम भुगतान का पूरा हिसाब देना पड़ता था, हिसाब देने के बाद डिस्ट्राय कर देता था। ये सभी बातें गिरीश शर्मा ने मेरे समक्ष ए.सी. बी. के अधिकारियों को मेरे समक्ष बताई थी।

ए.सी.बी. के अधिकारियों द्वारा गिरीश शर्मा के आफिस से डॉ0 आलोक शुक्ला एवं श्री अनिल टूटेजा के कई व्यक्तिगत बिलों के भुगतान जो उसके द्वारा की गई थी, की रसीद जप्ती की गई है। दिनांक 12 फरवरी 2015 को छापे के दौरान गिरीश शर्मा के कब्जे से 20 लाख रूपये की नगद राशि बरामद हुई थी। गिरीश शर्मा ने मेरे समक्ष यह भी खुलासा किया था कि यह राशि डॉ. आलोक शुक्ला के द्वारा उसे फोन कर घर बुलाकर 10 लाख रूपये की व्यवस्था करने एवं इस रकम को दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए कहा था और बार–बार बोल रहे थे कि 14 तारीख की सुबह तक रकम उसके घर पर मिल जावे। यह बात गिरीश शर्मा ने एमडी अनिल टूटेजा साहब को बताया, तब टूटेजा साहब ने शिवशंकर भटट को कहा था। शिवशंकर भटट ने अरविन्द ध्रुव को 20 लाख रूपये लाकर उसको (गिरीश शर्मा को) देने के लिए कहा। अरविन्द ध्रुव ने 20 लाख रूपये लाकर उसे दिया। इसमें से 10 लाख रूपये उसके द्वारा डॉ. आलोक शुक्ला के लिए 10 लाख रूपये टूटेजा के लिए उसके पास आ चुकी थी, को उक्त अधिकारियों को दिया जाना था। उक्त जानकारी गिरीश शर्मा ने मेरे तथा श्री रामनारायण राम के समक्ष कबूल की थी, यही मेरा कथन है।

Ajosi.

(अशोक जोशी)
उप पुलिस अधीक्षक
ई0ओ0डब्ल्यू0 रायपुर